भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1237

27.07.2026 को उत्तर के लिए

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध

1237. श्री अनिल यशवंत देसाईः
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहरों में विभिन्न कारणों से बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ पाल्यूशन में देश की स्थिति क्या है और देश में प्लास्टिक और अन्य प्रदूषणकारी सामग्री के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बाजार द्वारा प्लास्टिक पर लगाया गया प्रतिबंध प्रभावी है और यदि हां, तो देशभर में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध की क्या स्थिति है और दुकानदारों और आम उपभोक्ताओं सहित नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध की गई अभियोजन कार्रवाई का डेटा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लगभग सभी साप्ताहिक बाजारों में प्लास्टिक के खुलेआम और बेरोकटोक उपयोग के क्या कारण हैं और इस व्यवहार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार या गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा प्लास्टिक बैग के खोजे गए विकल्पों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 12 अगस्त, 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन प्रबंधन नियम, 2021 अधिसूचित किया, जिनमें कम उपयोगिता और

अधिक कूड़ा फैलाने की क्षमता वाले कुछ चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर दिनांक 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। इस अधिसूचना में दिनांक 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम मोटाई वाले गैर-बुने प्लास्टिक कैरी बैग पर भी दिनांक 30 सितंबर, 2021 से प्रतिबंध लगाया गया है।

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं तथा 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों जिसमें फल एवं सब्जी मंडियों, थोक बाजारों, स्थानीय बाजारों, फूल विक्रेताओं तथा प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण इकाइयों आदि शामिल हैं, पर लगाए गए प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रदान किए गए विवरण और एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जुलाई 2022 से जनवरी 2026 तक कुल 8,62,356 निरीक्षण किए गए हैं, और 1990 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुएं जब्त की गई हैं तथा कुल 19.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में ईपीआर, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 (एसबीएम-यू 2.0) और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कार्यान्वित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के माध्यम से वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण

समितियाँ अपने-अपने अधिदेश के अनुसार निगरानी एवं प्रवर्तन गतिविधियाँ संचालित करती हैं।

शहरी क्षेत्रों में बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, सरकार ने उत्तर भारत सहित 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानकों को न पूरा करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों/शहरी समूहों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। एमओईएफसीसी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए 130 शहरों को रैंक करने के लिए प्रतिवर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आयोजित करता है और इसके परिणाम सीपीसीबी की वेबसाइट https://prana.cpcb.gov.in/ncapServices/robust/fetchFilesFromDrive/SwachhVayuSurvekshan_2025_Result.pdf पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सीपीसीबी ने व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) तैयार किया है, जो प्रदूषण स्रोत, मार्ग और रिसेप्टर के एल्गोरिथ्म का पालन करते हुए किसी दिए गए औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय गुणवत्ता को दर्शाने के लिए एक तर्कसंगत संख्या (0 से 100 तक) है। औद्योगिक क्षेत्र जिसमें एकत्रित सीईपीआई स्कोर 70 और उससे अधिक है, को अत्यधिक गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र (सीपीए) माना जाता है, जबकि सीईपीआई स्कोर 60 से अधिक और 70 से कम है, इसे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र (एसपीए) माना जाता है और सीईपीआई स्कोर 60 से कम है, इसे अन्य प्रदूषित क्षेत्र (ओपीए) माना जाता है। प्रदूषण स्तर के लिए शहरों की विश्वव्यापी रैंकिंग आधिकारिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित नहीं की जा रही है।
